न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्याः— 106/2014

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. श्रीमति शांतिदेवी पुत्री फूसाराम, पत्नि थानाराम, जाति जाट, निवासी खेजड़ली कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. श्रीमति झमकू पत्नि फूसारामजी, जाति जाट, निवासी गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. श्रीमति भंवरीदेवी पुत्री फूसाराम, पत्नि मोतीराम, जाति जाट, निवासी मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. श्रीमति मांगीदेवी पत्नि भीकाराम, जाति जाट, निवासी अबाई की ढ़ाणी, पोस्ट चौपड़ा, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली । 04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

<u>दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति —

17. वादीनी की और से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी उपस्थित

18. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री गणपतलाल प्रजापत उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :— 6/1/2021

वादीनी द्वारा यह वाद ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 256 कुल रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा के 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा हेतु व नामान्तरकरण संख्या 391 को निरस्त करने हेतु एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीनी का 1/3 हिस्से की रकबा 09 बीघा 13.32 बिस्वांसी भूमि को वादीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु एवं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में किये गये कृषि भूमि खसरा संख्या 256/1 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, व खसरा संख्या 256 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा के बेचान को वादीनी के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी घोषित किये जावें एवं प्रतिवादी संख्या दो से तीन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीनी के हिस्से एवं बंट की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल अंदारी करें एवं न ही किसी अन्य से करावें ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया । दावें एवं जवाबदावें के आधार पर तनकियात कायम की गयी एवं वादी की साक्ष्य पूर्ण की जा चुकी हैं तथा वर्तमान में प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु वाद विचाराधीन हैं ।

प्रतिवादीगण के साक्ष्य के स्तर पर वादीनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमती से लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना स्वीकार किया जाकर लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो कि निम्न प्रकार से हैं:–

01. यह हैं कि वादीनी ने ग्राम गुड़ाविश्नोईयान, तहसील लूणी, की भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा कृषि भमि वादीनी की पैतृक कृषि भूमि में अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश कर रखा हैं जो वाद साक्ष्य वादी में चल रहा हैं ।

02. यह हैं कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं जिसके अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से वादी के 1/3 हिस्से की भूमि रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा भूमि देना तय किया गया हैं इसलिये वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर उसके हक हिस्से तक डिकी किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं हैं ।

03. यह हैं कि वादीनी को 1/3 हिस्से तक वादीनी के विवादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजीनामें के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा किया जाकर वादीनी के 1/3 हिस्से का राजस्व रेकर्ड में अलग दर्ज किया जकर अलग से लगान कायम किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं ।

04. यह हैं कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 256 में से प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो को किये गये हिस्से से अधिक बेचान रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा तक वादीनी के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी घोषित किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं हैं ।

05. यह हैं कि वादीनी के हक, हिस्से में आयी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं करें ।

अंत में निवेदन किया कि राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम गुड़ा विश्नोईयांन, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा में वादीनी को 1/3 हिस्सा यानि रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम अमल दरामद किये जाने की डिकी पारित करने के आदेश फरमाया जावें ।

हमने राजीनामा एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । चूंकी प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी को 1/3 हिस्से की भूमि उसे दिये जाने की सहमती व्यक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की हैं इस संबंध में प्रतिवादीगण नियमानुसार वादीनी के हक में पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये स्टाम्प ड्यूटी अदा कर निष्पादित करवाने हेतु स्वतन्त्र हैं तथा जहां तक पंजीबद्ध दस्तावेज को निष्प्रभावी घोषित किये जाने का प्रश्न हैं तो पंजीबद्ध दस्तावेज सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करने पर ही निष्प्रभावी हो सकता हैं ऐसी स्थिति में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक तौर पर ही स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से माफिक राजीनामा वादीनी का वाद आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम गुड़ा विश्नोईयान के नामान्तरकरण संख्या 391 को निरस्त किया जाता हैं।तथा उक्त विवादीत आराजी से सम्बन्धित पश्चातवर्ती नामान्तकरण Null And Void (अमान्य) होंगे। वादिनी को अपनी पैतृक भूमि ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 256 कुल रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा वादिनी को 1/3 हिस्सा यानि रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पंजीकृत दस्तावेज को निष्प्रभावी करने के लिए वादीनी एवं प्रतिवादीगण सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र हैं । आदेश आज खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी